पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका
1864
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 12282
Date / दिनांक: 30/07/2026

प्रेषक,
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।

सेवा में,
अनुमंडल पदाधिकारी
पटना सदर, पटना।

विषयः– मौर्यालोक व्यावसायिक परिसर, पटना में शांति एवं विधि–व्यवस्था बनाए रखने तथा धरना–प्रदर्शन के कारण उत्पन्न व्यवधान को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निषेधाज्ञा लागू किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना नगर निगम के अधीन संचालित मौर्यालोक व्यावसायिक परिसर में कर्मचारी समन्वय समिति, पटना नगर निगम एवं अन्य नगर निकायों के कर्मियों द्वारा दिनांक–29.07.2026 से अपनी मांगों के संबंध में जो राज्य सरकार से संबंधित है, धरना–प्रदर्शन एवं सभा का आयोजन किया जा रहा है। जबकि राज्य सरकार द्वारा गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन हेतु स्थान निर्धारित किया गया है। उक्त गतिविधियों के कारण परिसर में संचालित व्यवसायियों के दैनिक व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही परिसर में अवस्थित विभिन्न सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को आवागमन, कार्यालय संचालन तथा अन्य आवश्यक कार्यों के निष्पादन में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मौर्यालोक व्यावसायिक परिसर मुख्यतः व्यावसायिक एवं कार्यालयीन गतिविधियों के संचालन हेतु विकसित परिसर है, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यवसायी, कर्मचारी एवं आम नागरिक आते–जाते हैं। धरना–प्रदर्शन के कारण परिसर में भीड़भाड़, यातायात अवरोध, शोर–शराबा तथा विधि–व्यवस्था संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होने की आशंका निरंतर बनी रहती है, जिससे जनसामान्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

अतः लोक–शांति, सार्वजनिक व्यवस्था, व्यवसायियों के निर्बाध व्यापार, कार्यालयों के सुचारु संचालन तथा आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि मौर्यालोक व्यावसायिक परिसर एवं उसके आसपास के उपयुक्त क्षेत्र में प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए, ताकि परिसर में अनाधिकृत धरना–प्रदर्शन, सभा एवं अन्य ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके तथा शांति एवं विधि–व्यवस्था बनी रहे।

यह जनहित एवं सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

विश्वासभाजन

30/07/26

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।